

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 09/08/2019 ई०।


संख्या: 12/प्रो०-09-04/2015 का० 6438 / झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री दयानन्द पासवान, प्रधान आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-09) (पी०बी० III रू० 15600-39100/-, ग्रेड वेतन-रू० 6600, पुनरीक्षित **Pay Matrix Level-11**), उत्पाद एवं मद्य निषेध, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में वरीय प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० III रू० 15600- 39100/-ग्रेड वेतन-रू० 7600, पुनरीक्षित **Pay Matrix Level-12**) में प्रोन्नति दी जाती है।

संख्या: 12/प्रो०-09-04/2015 का० 6439 / झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री शशि कुजूर, प्रधान आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-156) (पी०बी० III रू० 15600-39100/-, ग्रेड वेतन-रू० 6600, पुनरीक्षित **Pay Matrix Level-11**), राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में वरीय प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० III रू० 15600- 39100/-ग्रेड वेतन-रू० 7600, पुनरीक्षित **Pay Matrix Level-12**) में प्रोन्नति दी जाती है।

2. संबंधित नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 के आलोक में पदस्थापन के उपरांत पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देय होगा।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


09.08.19
(अजय त्रिपठी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-12/प्रो०-09-04/2015 का० 6439 / राँची, दिनांक-09/08/2019 ई०।

प्रतिलिपि:- मॉडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/महालखाकार, झारखण्ड, राँची/सदस्य, राजस्व पंषद, झारखण्ड, राँची/सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा तथा सभी संबंधित नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


09.08.19
सरकार के अवर सचिव।